संख्या-438/2023/1460/22-2-2023-17(434)/2023

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 17 जुलाई, 2023

विषय:-केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनय कुमार पुत्र श्री श्याम किशोर उर्फ मौजी लाल, निवासी जनपद-सीतापुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2376/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-01.12.2022), दिनांक-24.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनय कुमार पुत्र श्री श्याम किशोर उर्फ मौजी लाल, उमरापुर, थाना-संदना, जनपद-सीतापुर का निवासी है। दिनांक 29.08.2007 को अभियुक्त ने अपनी बहन दीपा के साथ छेड़खानी की थी, जब वह चिल्लाई तो उसके तीनों भाई जाग गये थे तथा तीनों भाई छेड़खानी वाली बात मां बाप को बता न दें इसीलिए बंदी ने अपने 03 सगे भाईयों रंजीत, बलवीर उर्फ नीरज तथा अनुज की आरी से गला रेतकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1028/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, एक्स-कैडर कोर्ट नं0-4, सीतापुर के आदेश दिनांक 18.12.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया । बंदी द्वारा दिनांक 13.11.2022 तक अपरिहार 15 वर्ष 02 माह 12 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष 06 माह की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, जेल से छूटने पर पुन: अपराध कर सकने, वादी मुकदमा व उनके परिवार के सदस्यों में काफी आक्रोश होने व बंदी के छूटने से किसी भी घटना से इंकार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपेन्डिक्स-बी में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 29.08.2007 को अभियुक्त ने अपनी बहन दीपा के साथ छेड़खानी की थी, जब वह चिल्लाई तो उसके तीनों भाई जाग गये थे तथा तीनों भाई छेड़खानी वाली बात मां बाप को बता न दें इसीलिए बंदी ने अपने 03 सगे भाईयों रंजीत, बलवीर उर्फ नीरज तथा अनुज की आरी से गला रेतकर हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी विनय कुमार पुत्र श्री श्याम किशोर उर्फ मौजी लाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनय कुमार (बन्दी संख्या-48178) पुत्र श्री श्याम किशोर उर्फ मौजी लाल, निवासी जनपद-सीतापुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-438/2023/1460(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका 0क्रि)) संख्या-164/ बनाम व अन्यराजेन्द्र 2022 उतमउच्च 0 में माव अन्य 0प्र0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.-एवं अवमाननावाद संख्या 2022854/राम 2023 नारायन व अन्य बनाम श्री संजय प्रसाद व अन्य में माउच् 0चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.05.2023 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-438/2023/1460/22-2-2023-17(434)/2023

दिनांक 17 जुलाई, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनय कुमार पुत्र श्री श्याम किशोर उर्फ मौजी लाल, उमरापुर, थाना-संदना, जनपद-सीतापुर का निवासी है। दिनांक 29.08.2007 को अभियुक्त ने अपनी बहन दीपा के साथ छेड़खानी की थी, जब वह चिल्लाई तो उसके तीनों भाई जाग गये थे तथा तीनों भाई छेड़खानी वाली बात मां बाप को बता न दें इसीलिए बंदी ने अपने 03 सगे भाईयों रंजीत, बलवीर उर्फ नीरज तथा अनुज की आरी से गला रेतकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1028/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, एक्स-कैडर कोर्ट नं0-4, सीतापुर के आदेश दिनांक 18.12.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया । बंदी द्वारा दिनांक 13.11.2022 तक अपरिहार 15 वर्ष 02 माह 12 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष 06 माह की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, जेल से छूटने पर पुनः अपराध कर सकने, वादी मुकदमा व उनके परिवार के सदस्यों में काफी आक्रोश होने व बंदी के छूटने से किसी भी घटना से इंकार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपेन्डिक्स-बी में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 29.08.2007 को अभियुक्त ने अपनी बहन दीपा के साथ छेड़खानी की थी, जब वह चिल्लाई तो उसके तीनों भाई जाग गये थे तथा तीनों भाई छेड़खानी वाली बात मां बाप को बता न दें इसीलिए बंदी ने अपने 03 सगे भाईयों रंजीत, बलवीर उर्फ नीरज तथा अनुज की आरी से गला रेतकर हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी विनय कुमार पुत्र श्री श्याम किशोर उर्फ मौजी लाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।